

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DISTT DIVISION SHAHPURA
(JAIPUR)

NO. :- EE/PWD/Shp/D- 2941

DATE:- 12/02/2024

The Joint Director (Pvt. Institute)
Commissionerate College Education
Rajasthan Jaipur.

Sub. :- Regarding Safety Certificate of ROSE Teacher Training College At
Kharsa No. 258, Chetawala, Amber, (Jaipur).

Ref. :- 1. School owner letter dated
2. Ref. of depositing fee Challan No. 0084260367 dt. 04.01.2024
Rs. 6000/-

Sir,

It is to inform that above building has been inspected by Assistant Engineer PWD
Sub dn. Amber on dated 31.01.2024 as per affidavit furnished by the owner/principal. It
is to certify that this building is safe (Excluding Natural Calamities) for school activities.

This will remain in force for three years subjected the building is regularly
maintained and any serious distress noticed is rectified immediately and reported to
PWD sub dn. office.

Note :-

- I. This certificate will stand void automatically. If the building is used for any other
purpose other than the school activities at any time during the year.
- II. This certificate not applicable for Tin Shed.


Yours Faithfully


(Jitendra Kr. Meena)
Executive Engineer
PWD Distt. Dn. Shahpur (Jaipur)

NO. :- EE/PWD/Shp/D- 2942

DATE:- 12/02/2024

Copy to the Assistant Engineer PWD Sub. Dn. Amber (Jaipur) for information and n/a.


(Jitendra Kr. Meena)
Executive Engineer
PWD Distt. Dn. Shahpur (Jaipur)

कार्यालय नगरनिगम वृत्त बनीपार्क जयपुर (राज)

क्रमांक : ननि / बनीपार्क / 23/ 1156

दिनांक 15/11/2023

अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र

रोज पब्लिक स्कूल समिति द्वारा संचालित रोज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज २५८,चेतावाला वाया -राजावास सीकर रोड जयपुरके शैक्षणिक भवन का मौका निरीक्षण नगर निगम वृत्त बनीपार्क के अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 10/11/2023 को किया गया। अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार रोज पब्लिक स्कूल समिति द्वारा संचालित रोज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज २५८,चेतावाला वाया -राजावास सीकर रोड जयपुर के भवन के सभी तलों में निर्धारित स्थानों पर अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, जो वर्तमान में चालू स्थिति में है, तथा फायर सिस्टम को अपग्रेड करने का निर्देश देते हुए अस्थायी अग्निशमन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 15/11/2023 से 14/11/2024 तक मान्य होगा।

शर्तें :

1. अग्निशमन उपकरणों को सदैव चालू स्थिति में रखना होगा।
2. प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखना होगा।
3. आपात स्थिति में लगे हुए यंत्रों का उपयोग नगरनिगम वृत्त बनीपार्क, जयपुर द्वारा कभी भी किया जा सकता है।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
5. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
6. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
7. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम-उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
8. भवन का अग्निशमन अधिकारीद्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
9. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगा।
10. फायर वाहन आसानी से जा सके इसके लिए खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
11. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
12. यह प्रमाण-पत्र अग्नि सुरक्षा के लिए मान्य होगा।
13. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
14. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. औचक निरीक्षण के दौरान कभी भी यंत्र खराब पाये गये तो उक्त प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी।
16. उक्त अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र अवधि के दौरान कोई भी अग्नि से घटित घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी।


सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर